

संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017

धारा 2 : परिभाषाएं

इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा उपबंधित न हो,—

- (1) “नियत दिन” से वह तारीख अभिप्रेत है जिसको इस अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त होंगे;
- (2) “आयुक्त” से धारा 3 के अधीन नियुक्त संघ राज्यक्षेत्र का आयुक्त अभिप्रेत है;
- (3) “अभिहित प्राधिकारी” से ऐसा प्राधिकारी अभिप्रेत है जिसे आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया जाए;
- (4) “छूट प्राप्त प्रदाय” से ऐसे किसी माल या सेवाओं या दोनों का प्रदाय अभिप्रेत है जिन पर कर की दर शून्य है या जिन्हें धारा 8 के अधीन या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 6 के अधीन कर से छूट दी जा सकेगी और इसके अंतर्गत गैर कराधेय प्रदाय भी है;
- (5) “विद्यमान विधि” से माल या सेवाओं या दोनों पर शुल्क या कर के उद्ग्रहण या संग्रहण से संबंधित कोई ऐसी विधि, अधिसूचना, आदेश, नियम या विनियम अभिप्रेत है जिसे इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले ऐसी विधि, अधिसूचना, आदेश, नियम या विनियम बनाने की शक्ति रखने वाली संसद् या किसी प्राधिकारी या व्यक्ति द्वारा पारित किया गया है, या बनाया गया है;
- (6) “सरकार” से केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रशासक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत प्रशासक या कोई प्राधिकारी या अधिकारी अभिप्रेत है;
- (7) किसी कराधेय व्यक्ति के संबंध में, “आउटपुट कर” से उसके द्वारा या उसके किसी अभिकर्ता द्वारा किया गया माल या सेवाओं या दोनों के कराधेय प्रदाय पर इस अधिनियम के अधीन प्रभार्य संघ राज्यक्षेत्र कर अभिप्रेत है किन्तु इसमें प्रतिवर्ती प्रभार आधार पर उसके द्वारा संदेय कर को अपवर्जित किया गया है;
- (8) “संघ राज्यक्षेत्र” से,—
 - (i) अंडमान और निकोबार द्वीप;
 - (ii) लक्षद्वीप;
 - ¹[(iii) दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव;
 - (ii) सेवा का प्राप्तिकर्ता भारत में अवस्थित है;
 - (iii) सेवा की पूर्ति का स्थान भारत में है;
 - (iv) लद्दाख;]
 - (v) चंडीगढ़; या

¹ वित्त अधिनियम, 2020 (2020 का 12) द्वारा निम्न के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 27.03.2020)। प्रतिस्थापना के पूर्व यह इस प्रकार था:

“(iii) दादरा और नागर हवेली ^A[और दमन और दीव];

^B[(iv)]”

A दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर संशोधन विनियम, 2020 दिनांक 24.01.2020 (प्रभावशील दिनांक 26.01.2020) द्वारा अंतः स्थापित।

B दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर संशोधन विनियम, 2020 दिनांक 24.01.2020 द्वारा विलोपित। विलोपन के पूर्व यह इस प्रकार था :—

" (iv) दमन और दीव;"

संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017

(vi) अन्य राज्यक्षेत्र,
का राज्यक्षेत्र अभिप्रेत है;

स्पष्टीकरण – इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपखंड (i) से उपखंड (vi) में विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्रों में से प्रत्येक को एक पृथक् संघ राज्यक्षेत्र समझा जाएगा;

- (9) “संघ राज्यक्षेत्र कर” से इस अधिनियम के अधीन उद्गृहीत कर अभिप्रेत है;
- (10) उन शब्दों और पदों के, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किन्तु केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, एकीकृत माल और सेवाकर अधिनियम, राज्य माल और सेवा कर अधिनियम और माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उनके उन अधिनियमों में हैं।
-